कपास नई खोज़

भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र

देखें: www.cicr.org.in

अंक: 2 खंड: 8 अगस्त 10–16, 2014

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर एवं उसके क्षेत्रीय केंद्रों कोयंबत्तूर और सिर्सा में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्ट, 2014 को मनाया गया । सभी कर्मचारियों अपने प्रतिपाल्य (वार्डस) सहित समारोह में भाग लिए थे। राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराना डॉ.के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं द्वारा नागपुर में, डॉ.अ.हि.प्रकाश, परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष, के.क.अ.सं, क्षेत्रीय केंद्र, कोयंबत्तूर, द्वारा कोयंबत्तूर में एवं डॉ.ओ.पी. टुटेजा, प्रधान वैज्ञानिक (प्रभारी) द्वारा सिर्सा में राष्ट्रीय गाना के साथ हुआ था । अपने संबोधन में डॉ.के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं ने कपास किसानों की बेहतरी के लिए केंद्रित और समयबद्ध अनुसंधान के जरूरत पर जोर दिया । उन्होंने दसवीं, बारहवीं बोर्ड और स्नातक स्तर की परीक्षाओं में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त किए बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया ।

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र कोयंबटूर में दि.15.8.2014 को परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष डॉ.अ.हि.प्रकाश के संस्थान में राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराने के साथ इस संस्थान 68 वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने में राष्ट्र के साथ शामिल हो गए । डॉ.एन.गोपालकृष्णन, सहायक महानिदेशक (वाणिज्यिक फसल)(भा.कृ.अ.सं),केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र कोयंबटूर के वैज्ञानिकों और कर्मचारीयॉ संस्थान के समारोह में शामिल हुए। झंडा फहराने के बाद, परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष अपने संबोधन में दसवीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए कर्मचारी के बच्चों की सराहना की । उन्होंने इस वर्ष के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र कोयंबटूर वैज्ञानिकों के लिए उनकी सराहना बढ़ाया और सभी कर्मचारीयों कपास उत्पादकों के कल्याण के लिए अत्यंत गंभीरता के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए आमंत्रित किया। डॉ.एन.गोपालकृष्णन, सहायक महानिदेशक (वाणिज्यिक फसल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अपनी अध्यक्षीय भाषण में देश में कपास उत्पादकों के लाभ के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया । उनकी भाषण में एक संगठन में वांछित परिणाम आगे लाने के लिए समय की पाबंदी और ईमानदारी के मूल्यों पर जोर दिया गया था । उन्होंने विभिन्न पुरस्कार जीतने के लिए वैज्ञानिकों और कर्मचारीयों को बधाई दी। वैज्ञानिकों के तीन बच्चों को उनके दसवीं कक्षा में सराहनीय स्कोर के लिए सहायक महानिदेशक द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ । कार्यक्रम डॉ (श्रीमती) एस.उषारानी वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा एवं श्री.राधाकृष्णन नायर और श्री.पी.चिदंबरम के सक्षम समर्थन के साथ समन्वित किया गया था ।

सूखा न्यूनीकरण के लिए कार्य योजना

क्र. सं.	प्रतिपालित का नाम	कर्मचारी का नाम	प्राप्त किए अंक	प्रोत्साहन राशि
दस्वी कक्ष				
1.	कु.अनौष्का अग्रवाल	डॉ.इसबेल्ला अग्रवाल	100 प्रतिशत	1000.00
2.	क.देवी दर्शनी.एम.	डॉ.एस.माणिक्कम	99.2 प्रतिशत	800.00
3.	मा.जी.अरुण कार्तिक	डॉ.पी.नलायनी	91.2 प्रतिशत आय.सी.एस.ई.बोर्ड में जिले में श्रेष्ठ है।	600.00
12 वी कक्ष				
1.	कु.वनजा अय्यर	श्रीमति. रमा अय्यर	96.00 प्रतिशत	1000.00
स्नातक स्तर की पढ़ाई				
1.	कु.कांचन बिश्नोय	श्री.सुरेश कुमार	77.03 प्रतिशत	1000.00
2.	कु.देवयानी दीक्षित	श्रीमति.स्वाति दीक्षित	71.85 प्रतिशत	1000.00

वैज्ञानिक वार्ता

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयंबटूर में डॉ.के.रथिनवेल, प्रधान वैज्ञानिक (बीज प्रौद्योगिकी) ने 14 अगस्त 2014 को साप्ताहिक संगोष्ठी के एक भाग के रूप "भारत में करों" पर एक भाषण दिया । कर, व्यक्तियों या संपत्ति मालिकों पर सरकार को समर्थन करने हेतु रखे जानेवाले एक आर्थिक बोझ है, जो विधायी प्राधिकारी द्वारा बलपूर्वक वसूल किए जा रहे भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर एक स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं है, बल्कि एक लागू योगदान, विधायी अधिकार के अनुसार बलपूर्वक वसूल है। करों प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर से मिलकर और पैसे में या अपने श्रम समकक्ष के रूप में भुगतान किया जा सकता है। भारत एक अच्छी तरह से विकसित कराधान संरचना है।

भारत के संविधान के अनुसार, सरकार व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार है । हालांकि, संविधान अभिव्यक्त करता है कि कानून के अधिकार को छोड़कर किसी को भी करों लगाने का अधिकार नहीं है । जो कुछ भी कर लगाया जा रहा है उसको विधायिका या संसद द्वारा पारित कानून द्वारा ही संरक्षित किया जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व, खपत और उत्पादन के नियमन, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने, निवेश उत्तेजक, आय असमानताओं को कम करने, आर्थिक विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना ये सब हैं। एडम स्मिथ ऐसी चार महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था के रूप में कराधान के तैयार की हैं। करों प्रत्यक्ष कर प्रकार के रूप में करदाता पर सीधे लगाया जाता है और सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है। यह किसी और के लिए करदाता द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और अप्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति से एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र की जाता है, उसी पर कर की परम आर्थिक बोझ लगता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो 1963 के राजस्व अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे सांविधिक प्राधिकरण है और उत्पाद एवं सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत कार्य करते हैं और वे क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार शीर्ष पदाधिकारियों हैं । व्यक्तियों पर लगाया प्रत्यक्ष करों आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, भाग कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, सुविधा कर और व्यक्तियों पर लगाया अप्रत्यक्ष करों कस्टम ड्यूटी और चुंगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, एंटी डंपिंग ड्यूटी कर हैं । उपरोक्त करों के अतिरिक्त व्यवसाय कर, लाभांश वितरण कर, नगर निगम के कर, मनोरंजन कर, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण कर, शिक्षा उपकर, अधिभार, संपत्ति कर, टोल कर आधि करों के रूप में हैं । करों की गणना के तरीके, भुगतान के समय और प्रकार और कर छूट के प्रावधानों पर चर्चा की गई ।

निगरानी दौर

अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना, तहत डॉ.अ.हि.प्रकाश, परियोजना समन्वयक (ए.आय.सी.सी.पी) और डॉ.सी.डी.मायी, पूर्व अध्यक्ष ए. एस. आर. बी. ने कपास पत्ती कर्ल वायरस रोग के खिलाफ बीटी संकर कपास के लिए जांच और मूल्यांकन मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए प्रायोगिक परीक्षण का दौरा कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, सिर्सा में दि.10 अगस्त, 2014 को किया । यह बीटी संकर कपास के प्रगति के मूल्यांकन हेतु है। डॉ.सी.डी.मायी ने इस मौसम के दौरान पौधों के प्रयोगात्मक परीक्षण में विभिन्न रोग श्रेणी का प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया ।

वैज्ञानिक साहित्य का स्कैन

गालापागस में डॉर्विन्स कपास(*गीसिप्पियम बार्बडन्स एल.वेर.डार्विन्नि*) - नमक सहिष्णु कपास

गालापागस कपास झाड़ी 3 मीटर ऊँचाई तक विकसित होकर अपने चमकदार बड़े पीले फूलों के साथ 15 सेमी के एक बैंगनी पर्यत लंबे केंद्र से पहचान होते हैं । झाड़ियाँ में ही भारी बारिश के बाद आम तौर पर पुष्पन होते हैं। गालापागस बिनौले 10 सप्ताह के लिए नुकसान भ्रूण के साथ नमक पानी में रह सकते हैं। फिन्चेस और अन्य छोटे पक्षियों उनके घोंसले लाइन के लिए कपास का उपयोग करते हैं। द्वीप में फिन्चेस अपने घोंसले के बुनाई, गालापागस कपास तंतु के उपयोग से करते हुए देखकर, परिस्थितिविज्ञानशास्री कीटनाशक से लथपथ कपास की पेशकश की जो चार गिरते फिन्चेस प्रजातियों अपने घोंसले में बुना है और प्रभावी रूप से आक्रामक घोंसला फिलोर्निस डौन्सी को बाहर मुहर लगी जो, लार्वा, नव-रची फिन्चेस के रक्त पर भोजन लेते हैं ।

संदर्भ और छवि स्रोतों

http://www.redmangrovecom/blog/weekly-photo-darwins-cotton-in-the-galapagos
http://life-binding-etc.blogspot.i/2011/08/galapagos-plants.html
http://www.theguardian.com/science/animal-magic/gallery/2014/may/06/darwins-finches.html
http://www.nature.com/snews/cotton-balls-help-darwins-finches-to-help-themselves

डॉ.जे.एन्नि शीबा, वैज्ञानिक, पौधा दैहिकी, के.क.अ.सं, नागपुर द्वारा योगदान

निर्मित एवं प्रकाशित: डॉ. के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं, नागपुर
प्रमुख संपादक: डॉ. नंदिनी गोक्टे-नार्खडेकर
संपादकों: डॉ. जे.एन्नि शीबा, डॉ. विश्लेष नगरारे, डॉ. जे.अमुदा एवं डॉ. एम.शरवणन
जनसंचार माध्यम समर्थन एवं रुपांकन: डॉ. एम.सबेष एवं श्री. एस.सत्यकुमार
हिन्दी अनुवाद: श्रीमति. के.सुभश्री एवं डॉ. अ.हि.प्रकाश
निर्मित समर्थन: श्री. संजय कुश्वाहा

प्रमाण: कपास नई खोज अंक-2, खंड-8, 2014, भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

प्रकाशन टिप्पणी: यह समाचार पत्र आनलाईन http://www.cicr.org.in/News Letter.html में उपलब्ध है।
कपास नई खोज एक खुला उपयोग कपास समाचार पत्र है ।

कपास नई खोज - के.क.अ.सं, समाचार पत्र केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र.
कार्यालय: पांजरी, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लॉन्ट के पास, वर्धा रोड, नागपुर- 441 108.
दूरभाष: 07103-275536 फैक्स: 07103-275529; E-mail: cicrnagpur@gmail.com